न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या : 07 वर्ष 2023 **दिनांक : फरवरी 22, 2023**

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से पूर्व अनुमति एवं विचार–विमर्श के उपरान्त चूंकि जिला चमोली में नया थाना नन्दानगर (घाट) के नाम से अस्तित्व में आ चुका है। दाण्डिक न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) एवं धारा 410 आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली एवं सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित पूर्व में पारित आदेश संख्या 02/2022 दिनांकित 12.10.2022 को संशोधित करते हुए क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अग्रिम अन्यथा आदेश तक निम्नवत व्यवस्था की जाती है–

1– **न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा–**

(1) पुलिस थाना चमोली व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) पुलिस थाना चमोली व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, 125 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 एवं धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवाद/प्रार्थना पत्र।

(3) ऐसे विशेष अधिनियमों/विधियों से सम्बन्धित परिवाद/प्रार्थना पत्र आदि, जिनकी सुनवाई का अन्यत्रतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है।

2– **न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जाँच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा–**

(1) पुलिस थाना नन्दानगर (घाट) व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) पुलिस थाना नन्दानगर (घाट) व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, 125 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवाद/प्रार्थना पत्र।

(2) समय–समय पर अंतरण से प्राप्त होने वाले वाद।

3– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/–

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 48(7)/2023, गोपेश्वर : दिनांक : फरवरी 22 ,2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–

1– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2– जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।

3– पुलिस अधीक्षक, चमोली।

4– न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

5– सचिव, जिला बार संघ, चमोली–गोपेश्वर।

6– ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।

7– सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।

8– गार्ड फाईल।

Chauhan 22/2/23

(सचिन कुमार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

चमोली।